

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

पत्रांक- 2970

प्रेषक,

सुबोध किशोर सोरेंग,
सरकार के अपर सचिव,
कल्याण विभाग।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 26/09/2017


विषय : - विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने से सम्बन्धित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को झारखण्ड से प्रकाशित होनेवाले सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,




सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:.....

राँची, दिनांक :.....

प्रतिलिपि : सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।



झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग


प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना
(P.R. No. 166390)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा वितीय वर्ष-2017-18 में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन (P.R. No.166390) के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1	संबन्धित छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	30 th August 2017	30 th October 2017
2	कॉलेज/संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का पंजीकरण	-	15 th October 2017
3	संस्थान द्वारा आवेदनों का प्रमाणीकरण एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि	1 st November 2017	15 th November 2017
4	जिला स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक	-	20 th November 2017
5	छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया	-	30 th November 2017

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शेष दिशा निर्देश (Website-ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है) यथावत रहेगा।


(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के अपर सचिव।
कल्याण विभाग।